2021 का विधेयक संख्यांक 160.

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021

खंडों का क्रम

खंड

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

खेलों में डोपिंग और डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन प्रतिषिद्ध होना

3. खेलों में डोपिंग का प्रतिषिद्ध होना ।
4. डोपिंग रोधीनियम उल्लंघन।
5. चिकित्सीय प्रयोग हेतु छूट ।
6. डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के परिणाम ।

अध्याय 3

खेलों में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड

7. खेलों में डोपिंग रोधी राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना और गठन ।
8. बोर्ड की बैठकें ।
9. बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।
10. बोर्ड के कृत्य और शक्तियां ।
11. अनुशासनिक पैनल ।
12. अपील पैनल ।
13. वार्षिक रिपोर्ट ।

अध्याय 4

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण

14. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण का निगमन ।
15. महानिदेशक ।
16. अभिकरण के कृत्य और शक्तियां ।
17. समितियां गठित करने की शक्ति ।
18. अभिकरण द्वारा अन्वेषण दलों और विशेषज्ञों की प्रस्थापना और वृतिकों का गठन ।

अध्याय 5

डोपिंग नियंत्रण प्रक्रिया

19. प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति ।
20. नमूने इकट्ठे करने और जांच करने की शक्ति ।
21. परिणाम प्रबंधन प्रक्रिया ।

खंड

22. अनुशासनात्मक पैनल द्वारा सुनवाई और उसके परिणामों का अवधारण ।
23. अपील पैनल द्वारा अपील की सुनवाई ।

अध्याय 6

वित्त, लेखा, संपरीक्षा और रिपोर्ट

24. केन्द्रीय सरकार को अनुदान ।
25. लेखा और संपरीक्षा ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

26. डोप परीक्षण प्रयोगशालाएं ।
27. खिलाड़ी का डाटा और डाटाबेस का अनुरक्षण ।
28. अधिनियम, नियमों और विनियमों का अन्य खिलाड़ियों और खेल निकायों आदि को लागू होना।
29. नियम बनाने की शक्ति ।
30. बोर्ड द्वारा विनियम बनाने की शक्ति ।
31. अभिकरण द्वारा विनियमों को बनाने की शक्ति ।
32. नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।
33. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
34. संक्रमणकालीन उपबंध ।

2021 का विधेयक संख्यांक 160.

[दि नेशनल एन्टी-डोपिंग बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021

खेलों में डोपिंग रोधी क्रियाकलापों को और खेलों में डोपिंग के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय को प्रभावी करने तथा उसके अधीन ऐसी अन्य बाध्यताओं और वचनबद्धता के अनुपालन को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

भारत खेलों में डोपिंग के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता है ।

और, भारत ने 7 नवंबर, 2007 को उक्त अभिसमय का अनुसमर्थन किया था,

और, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने और उसके तैयारी के दौरान ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखने, खेलों में डोपिंग रोधी क्रियाकलापों को विनियमित करने और उक्त अभिसमय के अधीन भारत की बाध्यताओं को पूरा करने के लिए यह समीचीन समझा गया है ।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का नाम राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2021 है । संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं ।

(क) "अभिकरण" से धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन गठित और निगमित राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण अभिप्रेत है;

(ख) "डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन "से ऐसी परिस्थितियां, कार्य और धारा 4 में विनिर्दिष्ट व्यवहार अभिप्रेत है जो इस संहिता के अधीन यथा अधिकथित डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन का गठन करता है;

(ग) "अपील पैनल" से धारा 12 के अधीन गठित राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अपील पैनल अभिप्रेत है;

(घ) "एथलीट" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो राष्ट्रीय स्तर या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर या किसी ऐसी प्रतिस्पर्धा या आयोजन में भाग लेता है जिसको यह अधिनियम लागू होता है;

(ङ) "एथलीट सहयोगी कार्मिक" से कोई ऐसा कोच, प्रशिक्षक, प्रबंधक, अभिकर्ता, टीम कार्मिक, पदाधिकारी, चिकित्सीय या परा-चिकित्सीय कार्मिक या ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे एथलीट जो किसी राष्ट्रीय स्तर या अंतरराष्ट्रीय स्तर या इस अधिनियम को लागू किसी प्रतिस्पर्धा या आयोजन में भाग ले रहा है या तैयारी कर रहा है, के साथ कार्य या उपचार या सहायता करता है;

(च) "बोर्ड " से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन खेलों में डोपिंग रोधी के लिए स्थापित राष्ट्रीय बोर्ड अभिप्रेत है;

(छ) "अध्यक्ष" से धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ज) "संहिता" से विश्व डोपिंग रोधी अभिकरण द्वारा अंगीकृत और समय समय पर संशोधित विश्व डोपिंग रोधी संहिता अभिप्रेत है;

(झ) "प्रतिस्पर्धा" से कोई एकल दौड़, मैच, खेल या एकल प्रतियोगिता अभिप्रेत है;

(ञ) "अभिसमय" से खेलों में डोपिंग के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय अभिप्रेत है;

(ट) "महानिदेशक" से धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त महानिदेशक अभिप्रेत है;

(ठ) "अनुशासनिक पैनल" से धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अनुशासनिक पैनल अभिप्रेत है;

(ड) "डोप परीक्षण प्रयोगशाला" से धारा 26 के अधीन स्थापित और मान्यता प्राप्त कोई प्रयोगशाला अभिप्रेत है;

(ढ) "डोपिंग नियंत्रण" के अंतर्गत परीक्षण वितरण योजना से लेकर किसी अपील के निपटान तक और परिणामात्मक प्रवर्तन तक सभी उपाय सम्मिलित हैं, जिसमें बीच की प्रक्रियाएं और सभी उपाय भी हैं किंतु जो परीक्षण, जांच, पता- ठिकाना, चिकित्सीय प्रयोग छूट, नमूना संग्रहण और हैंडलिंग, प्रयोगशाला विश्लेषण, परिणाम प्रबंधन, सुनवाई और अपील तथा जांच और किसी डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन से संबंधित कार्यवाहियां तक सीमित नहीं हैं ;

(ण) "खेल में डोपिंग" से धारा 4 में विनिर्दिष्ट कोई डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन की घटना अभिप्रेत है;

(त) "आयोजन" से किसी एकल शासित निकाय के अधीन एक साथ संचालित जैसे ओलंपिक खेल, किसी अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन की विश्व चैंपियनशिप, वैयक्तिक प्रतिस्पर्धाओं की कोई श्रृखंला और ऐसा अन्य आयोजन अभिप्रेत है ;

(थ) "अंत:प्रतिस्पर्धा परीक्षण" से किसी ऐसे एथलीट से, जो किसी प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहा है, जहां ऐसा संग्रहण प्रतिस्पर्धा के पूर्व दिन को 11:59 अपराह्न से प्रांरभ होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय किया जाता है जिसको ऐसे एथलीट का भाग लिया जाना अधिसूचित है, से लेकर प्रतिस्पर्धा के अंत तक परीक्षण के लिए नमूना संग्रहण अभिप्रेत है;

(द) "अंतरराष्ट्रीय आयोजन" से कोई ऐसा आयोजन या प्रतिस्पर्धा अभिप्रेत है जहां अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय पैरालिंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन, मुख्य आयोजन संगठन या अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल संगठन ऐसे आयोजन के लिए शासित करने वाला निकाय है या आयोजन के लिए तकनीकी पदाधिकारी नियुक्त करता है;

(ध) "अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन" से किसी विशिष्ट खेल के लिए अंतरराष्ट्रीय शासित करने वाला निकाय अभिप्रेत है;

(न) "सदस्य" से धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन नियुक्त बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत उसका अध्यक्ष भी है;

(प) "राष्ट्रीय आयोजन" से ऐसा खेल आयोजन या प्रतिस्पर्धा अभिप्रेत है जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर के एथलीट सम्मिलित है किन्तु जो कोई अंतरराष्ट्रीय आयोजन नहीं है;

(फ) "राष्ट्रीय खेल फेडरेशन" से कोई ऐसा मान्यताप्राप्त निकाय अभिप्रेत है जो किसी विशिष्ट खेल को शासित करता है जिसको यह संहिता लागू हैं ;

(ब) "अन्य डोपिंग रोधी संगठनों" से ऐसे संगठन अभिप्रेत है जो डोपिंग नियंत्रण प्रक्रिया के किसी भाग के प्रवर्तन या कार्यान्वयन या प्रारंभ करने के लिए डोपिंग रोधी नियमों को अंगीकृत करने के लिए जिम्मेदार है और जिसके अंतर्गत विश्व एंटी-डोपिंग अभिकरण, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतरराष्ट्रीय पैरालिंपिक समिति और अन्य मुख्य आयोजन संगठन भी हैं जो अपने आयोजनों और अंतरराष्ट्रीय फेडरेशनों में परीक्षण संचालित करते हैं, किंतु इसमें अभिकरण सम्मिलित नहीं है ;

(भ) "प्रतिस्पर्धा बाह्य परीक्षण" से अंतः प्रतिस्पर्धा परीक्षण के लिए

विनिर्दिष्ट अवधि से भिन्न अन्य किसी अवधि के दौरान संगृहीत नमूना अभिप्रेत है;

(म) "व्यक्ति" से कोई प्राकृतिक व्यक्ति या संगठन या अन्य ईकाई अभिप्रेत है;

(य) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(यक) "प्रतिषिद्ध सूची" से अभिकरण द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध पदार्थों और प्रतिषिद्ध पद्धतियों की सूची अभिप्रेत हैं;

(यख) "प्रतिषिद्ध पद्धति" से प्रतिषिद्ध सूची में सूचीबद्ध कोई पद्धति अभिप्रेत है;

(यग) "प्रतिषिद्ध पदार्थ" से प्रतिषिद्ध सूची में सूचीबद्ध कोई पदार्थ अभिप्रेत है;

(यघ) "विनियमों " से यथास्थिति, बोर्ड या अभिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(यङ) "नमूना" से इस अधिनियम के अधीन डोपिंग नियंत्रण के प्रयोजन के लिए किसी एथलीट से संगृहीत कोई जैविक सामग्री अभिप्रेत है;

(यच) "सोसाइटी" से यथास्थिति, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण या राष्ट्रीय डोप 1860 का 21
परीक्षण प्रयोगशाला, और इस अधिनियम के लागू होने से ठीक पूर्व, उस रूप में कार्य करने वाली कोई सोसाइटी अभिप्रेत है;

(यछ) "परीक्षण" से डोपिंग नियंत्रण प्रक्रिया के भाग, जिसमें परीक्षण वितरण योजना, नमूना संग्रहण, नमूना हैंडल करना, प्रयोगशाला को नमूना भेजना और नमूनों का परीक्षण भी है, अभिप्रेत है;

(यज) "प्रयोग" से किसी भी साधन से चाहे जो प्रतिषिद्ध पदार्थ का या प्रतिषिद्ध पद्धति द्वारा उपयोजन, अंतर्ग्रहण, भरण या उपभोग अभिप्रेत है;

(यझ) "विश्व डोपिंग रोधी अभिकरण" से स्वीटज़रलैंड में 10 नवंबर, 1999 को स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय अभिकरण अभिप्रेत है जो डोपिंग रोधी नीतियों और अंतरराष्ट्रीय मानकों को प्रभावी करने के लिए संहिता का अंगीकरण और संशोधन करता है;

अध्याय 2

खेलों में डोपिंग और डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन प्रतिषिद्ध होना

खेलों में डोपिंग का प्रतिषिद्ध होना ।

3. (1) खेल में कोई एथलीट, एथलीट सहयोगी कार्मिक या अन्य व्यक्ति डोपिंग में संलिप्त नहीं होगा ।

(2) प्रत्येक एथलीट, एथलीट सहयोगी कार्मिक या अन्य व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि धारा 4 में विनिर्दिष्ट डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन की कोई घटना न हो ।

(3) प्रत्येक एथलीट किसी खेल प्रतिस्पर्धा में सभी स्तरों पर अखंडता और आचार के उच्चतम मानकों के साथ इस अधिनियम के उपबंधों और नियमों तथा तदधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार भागीदारी करेगा ।

(4) किसी खेल प्रतिस्पर्धा में भागीदारी करने वाला प्रत्येक एथलीट और एथलीट सहयोगी कार्मिक ऐसी भागीदारी की एक शर्त के रुप में डोपिंग रोधी नियमों को स्वीकार करेगा और इस अधिनियम और नियमों तथा तदधीन बनाए गए विनियमों द्वारा आबद्धकर होगा ।

(5) प्रत्येक एथलीट, एथलीट सहयोगी कार्मिक और अन्य व्यक्तियों की यह जानने की जिम्मेदारी होगी कि डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन क्या है और प्रतिषिद्ध पदार्थों के प्रयोग पर क्या निर्बंधन हैं तथा वे प्रतिषिद्ध पद्धतियां क्या हैं, जो प्रतिषिद्ध सूची में सम्मिलित की गई हैं ।

डोपिंग रोधीनियम उल्लंघन ।

4. किसी एथलीट या एथलीट सहयोगी कार्मिक या अन्य व्यक्तियों द्वारा कोई एक या अधिक निम्नलिखित परिस्थितियां या कार्य या व्यवहार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन होगा—

(क) किसी प्रतिषिद्ध पदार्थ या उसके उपापचयी या चिन्हक की किसी एथलीट के नमूने में उपस्थिति;

(ख) किसी प्रतिषिद्ध पदार्थ या प्रतिषिद्ध पद्धति का प्रयोग या प्रयोग का प्रयास करना, जब तक ऐसे प्रयोग को अभिकरण द्वारा धारा 5 के अधीन छूट प्राप्त न हो;

(ग) ऐसे लागू डोपिंग रोधी नियमों में यथा प्राधिकृत, अधिसूचना के पश्चात् नमूना संग्रहण को प्रस्तुत करने में बिना बाध्यकारी न्यायोचित्य के इंकार करना या असफल रहना या अन्यथा नमूना संग्रहण से बचना;

(घ) पता ठिकाना संबंधी असफलता ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "पता ठिकाना संबंधी असफलता" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) प्रस्तुत करने में असफलता अर्थात् कोई एथलीट अपेक्षित अंतिम तिथि से पूर्व अपना पता ठिकाना संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने में असफल हो गया है या परिस्थितियों में परिवर्तन के पश्चात् उसे अद्यतन करने में असफल हो गया है या यदि समय पर प्रस्तुत किया गया है तो परीक्षण के लिए उसके स्थान का पता लगाने के लिए यह अपूर्ण, गलत और अपर्याप्त जानकारी के साथ प्रस्तुत किया गया है; या

(ii) परीक्षण छूट गया है अर्थात् चाहे एथलीट ने अपने पते ठिकाने की जानकारी प्रस्तुत की है,परंतु वह परीक्षण के उस अवस्थान पर उपस्थित नहीं है;

(iii) ऐसे अन्य लोप या असफलताएं, जो विनियमों द्वारा अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं;

(ङ) डोपिंग नियंत्रण के किसी भाग के साथ छेड़छाड़ करना या छेड़छाड़ करने का प्रयास करना ;

(च) प्रतिषिद्ध पदार्थों या प्रतिषिद्ध पद्धतियों का धारण करना ;

(छ) किसी प्रतिषिद्ध पदार्थ या प्रतिषिद्ध रीति में दुर्व्यापार करना या दुर्व्यापार का प्रयास किया है;

(ज) किसी एथलीट को या प्रतिस्पर्धा के बाहर किसी एथलीट को किसी प्रतिषिद्ध पदार्थ या प्रतिषिद्ध पद्धति का प्रशासन करना या प्रशासन करने

का प्रयास किया है;

(झ) डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन करना या डोपिंग रोधी उल्लंघन के किए गए प्रयास में सहयेाग, उत्साहवर्धन, सहायता, उत्प्रेरण, षड्यंत्र, या अंतर्वलित किसी प्रकार की अन्य जटिलता छिपाना या अपात्रता या अनंतिम निलंबन के दौरान भागीदारी के विरुद्ध प्रतिषिद्ध संबंधी उल्लंघन करना;

(ञ) ऐसे एथलीट सहयोगी कार्मिक के साथ सहयोजन प्रतिषिद्ध करना, जो विनियमों द्वारा अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ट) प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए निरुत्साहित या प्रतिकार करना;

(ठ) ऐसी अन्य परिस्थितियां या ऐसे अन्य कार्यों या संचालन में लगे रहना जो डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन हो, जो विनियमों द्वारा अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

चिकित्सीय प्रयोग हेतु छूट ।

5. (1) जहां कोई पदार्थ या पद्धति प्रतिषिद्ध सूची में सम्मिलित है और ऐसा प्रतिषिद्ध पदार्थ या पद्धति का प्रयोग किसी एथलीट द्वारा चिकित्सीय शर्तों के आधार पर अपेक्षित है तो ऐसा एथलीट अभिकरण को ऐसे प्रतिषिद्ध पदार्थ या प्रतिषिद्ध पद्धति के संबंध में चिकित्सीय प्रयोग हेतु छूट प्रदान करने हेतु आवेदन कर सकेगा ।

(2) अभिकरण, उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्राप्त आवेदन पर ऐसी रीति में और ऐसे मानदंडों, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएं, को विचार में लेने के पश्चात्, आवेदन पर विचार कर सकेगा ।

(3) अभिकरण, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन के संबंध में ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, चिकित्सीय प्रयोग संबंधी छूट या तो प्रदान करेगा या इंकार करेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन अभिकरण के विनिश्चय द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति अपील पैनल को अपील कर सकेगा ।

डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के परिणाम ।

6. (1) किसी व्यष्टिक एथलीट या एथलीट सहयोगी कार्मिक द्वारा डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के परिणामस्वरुप निम्नलिखित एक या अधिक परिणाम हो सकेंगे, अर्थात् :—

(क) परिणामों की निरर्हता, सभी परिणामों सहित जिसके अंतर्गत मैडल, अंकों और पुरस्कारों का, ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, समपहरण भी है ;

(ख) किसी प्रतिस्पर्धा या आयोजन या अन्य क्रियाकलाप या वित्त पोषण के लिए ऐसी अवधि और ऐसी रीति में विनियमों द्वारा अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, भाग लेने संबंधी अपात्रता;

(ग) किसी प्रतिस्पर्धा या धारा 23 के अधीन अपील में विनिश्चय के पूर्व किसी प्रतिस्पर्धा या क्रियाकलाप में भाग लेने से, ऐसी रीति जो विनियमों द्वारा अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अनंतिम निलंबन ;

(घ) वित्तीय मंजूरी का अधिरोपण, जिसके अंतर्गत ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा अभिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, लागतों की आनुपातिक वसूली भी है ;

(ङ) ऐसे अन्य परिणाम, जो ऐसी रीति में जो विनियमों द्‌वारा अभिकरण द्‌वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(2) खेल टीम के लिए डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के परिणाम वे होंगे जो विनियमों द्‌वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

अध्याय 3

खेलों में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड

खेलों में डोपिंग रोधी राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना और गठन ।

7. (1) ऐसी तारीख से जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्‌वारा इस निमित्त नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी बोर्ड के नाम से ज्ञात बोर्ड की स्थापना की जाएगी ।

(2) बोर्ड, एक अध्यक्ष और केंद्रीय सरकार द्‌वारा नियुक्त किए जाने वाले दो सदस्यों से मिलकर बनेगा :

परंतु कोई व्यक्ति बोर्ड का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त नहीं होगा या ऐसे पद पर नहीं बना रहेगा यदि ऐसा व्यक्ति किसी अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन, राष्ट्रीय खेल फेडरेशन, मुख्य आयोजन संगठन, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, राष्ट्रीय पैरांलिपिक समिति या सरकारी विभाग में खेल या डोपिंग रोधी संबंधी जिम्मेदारियों के प्रबंधन या प्रचालन में सम्मिलित है ।

(3) अध्यक्ष, योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिसे साधारण प्रशासन या खेल प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम बीस वर्ष का वृत्तिक अनुभव है या कोई सेवानिवृत्त विख्यात एथलीट होगा ।

(4) सदस्य, योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला ऐसा व्यक्ति होगा जिसे साधारण प्रशासन या चिकित्सा विज्ञान या विधि के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का वृत्तिक अनुभव है या कोई सेवा निवृत्त प्रख्यात एथलीट है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, पद "प्रख्यात एथलीट" से कोई ऐसा खिलाड़ी अभिप्रेत है जिसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में मैडल जीतने के कारण राष्ट्रीय खेल विकास में उत्कृष्ट सहयोग करने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार या पदम पुरस्कार प्रदत्त किया गया है ।

(5) अध्यक्ष और सदस्य की पदावधि तीन वर्ष के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इसमें जो भी पूर्वतर हो, होगी ।

(6) अध्यक्ष या सदस्य के कार्यालय में मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण रिक्ति उद्‌भूत होने की दशा में या जहां अध्यक्ष या सदस्य अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो केंद्रीय सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को अस्थायी प्रभार समनुदेशित कर सकेगी जो धारा 7 में यथा उपबंधित अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव को पूरा करता हो और ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के कर्तव्यों का तब तक निर्वहन करेगा जब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कोई नया अध्यक्ष या सदस्य उसके कार्यालय में ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त नहीं कर दिया जाता है, या उस तारीख तक जिसको अध्यक्ष या सदस्य अपने कर्तव्यों के प्रभार को फिर से संभालता है ।

(7) अध्यक्ष या कोई सदस्य या तो अपने पदावधि के दौरान या उस तारीख से एक वर्ष जिसको वह ऐसा पद पर बना नहीं रहता है, किसी अंतरराष्ट्रीय

फेडरेशन या राष्ट्रीय खेल फेडरेशन या किसी संगठन, निकाय या ऐसी इकाई का जिसका ऐसे अध्यक्ष या सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से किसी विषय की बाबत बरता गया है, कोई नियोजन चाहे जो भी हैसियत हो, स्वीकार नहीं करेगा :

परंतु इसमें अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित किसी संस्थान या निकाय में ऐसे व्यक्ति को नियोजन स्वीकृत करने से निवारित करने के रुप में अर्थ नहीं लगाया जाएगा ।

(8) अध्यक्ष या कोई सदस्य,—

(क) केन्द्रीय सरकार को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा कम से कम तीस दिन की सूचना देकर अपने पद का त्याग कर सकेगा; या

(ख) केन्द्रीय सरकार, उसे पद से हटा सकेगी,—

(i) जिसे दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है ;

(ii) जिसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ;

(iii) जो शीरीरिक या मानसिक रुप से सदस्य के रुप में कार्य करने के अयोग्य है ;

(iv) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रुप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(v) जिसने अपनी स्थिति का ऐसा दुरुपयोग किया है जिससे उसके पद पर बने रहने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा :

परंतु किसी व्यक्ति को खंड (ख) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन तब तक उसके पद से नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उस विषय में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

(9) अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

बोर्ड की बैठकें ।

8. (1) बोर्ड, ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में (जिसके अन्तर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) बोर्ड का प्रत्येक विनिश्चय जहां तक संभव हो साधारण बहुमत के आधार पर होगा ।

(3) बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से ही अविधिमान्य नहीं होगी, कि—

(क) बोर्ड में कोई रिक्ति है या बोर्ड के गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) बोर्ड की प्रक्रिया में ऐसी कोई अनियमितता जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं करती है ।

9. (1) केंद्रीय सरकार, बोर्ड को ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का उपबंध करेगी, जो वह इस अधिनियम के अधीन इसके कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझे । बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

(2) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

10. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, बोर्ड अभिसमय के उपबंधों के कार्यान्वयन और उसकी अनुपालना की मॉनीटरी सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा । बोर्ड के कृत्य और शक्तियां ।

(2) बोर्ड, केंद्रीय सरकार को परामर्श देगा और खेलों में डोपिंग रोधी विनियमन और अभिसमय की अनुपालना से संबंधित सिफारिशें करेगा ।

(3) बोर्ड, अभिकरण के क्रियाकलापों की निगरानी करेगा और ऐसी जानकारी तथा रिपोर्ट अभिकरण से मंगा सकेगा जो अभिसमय के उपबंधों और संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित हों, जिसके अंतर्गत उस पर निम्नलिखित रिपोर्ट भी हैं :—

(क) विश्व डोपिंग रोधी अभिकरण द्वारा अधिकथित मानकों और डोपिंग रोधी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने संबंधी अभिकरण के क्रियाकलाप;

(ख) खेलों में सत्यनिष्ठा और निष्पक्ष खेल के मामले;

(ग) अधिसूचित या अंगीकृत डोपिंग रोधी उपायों या नीतियों का कार्यान्वयन;

(घ) आगामी वर्षों के लिए उसके डोपिंग रोधी क्रियाकलापों की चरणबद्ध योजना;

(ङ) कोई अन्य विषय, जो बोर्ड खेलों में डोपिंग उन्मूलन करने के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए समीचीन समझे;

(4) बोर्ड, अभिकरण को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो अभिसमय और संहिता के प्रभावी और समय पर कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों ।

(5) बोर्ड, अनुशासनिक पैनल और अपील पैनल से उसके प्रचालनों पर ऐसी जानकारी मांग सकेगा और ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन डोपिंग नियम उल्लंघन के संबंध में उनके कृत्यों को प्रभावी और समय पर निर्वहन करने हेतु आवश्यक समझे :

परंतु ऐसे निदेश अनुशासनिक पैनल और अपील पैनल के प्रक्रियात्मक दक्षता तक सीमित होंगे और किसी भी दशा में उनकी विनिर्णय प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेंगे ।

11. (1) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के परिणामों के प्रयोजन को अवधारित करने हेतु ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विहित की जाए, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अनुशासनिक पैनल का गठन करेगा । अनुशासनिक पैनल ।

(2) अनुशासिनक पैनल निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :—

(क) एक अध्यक्ष, ऐसा विधि विशेषज्ञ जिसके पास विधि व्यवसायी के रुप में दस वर्ष से अन्यून का अनुभव है;

(ख) चार उपाध्यक्ष, ऐसे विधि विशेषज्ञ जिनके पास विधि व्यवसायी के

रुप में सात वर्ष से अन्यून का अनुभव है;

(ग) पांच सदस्य, ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है, जिनके पास पांच वर्ष से अन्यून का अनुभव है;

(घ) पांच सदस्य या सेवानिवृत्त विख्यात एथलीट, जो पांच वर्ष से अन्यून के लिए खेल प्रशासक है;

(3) अनुशासनिक पैनल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य बोर्ड द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, दो वर्ष की पदावधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे :

परंतु प्रत्येक सदस्य पुन:नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(4) यदि अनुशासनिक पैनल का कोई सदस्य मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा बोर्ड द्वारा ऐसे आधारों पर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, पैनल से हटाया जाता है तो बोर्ड ऐसी रिक्ति को भरने के लिए उस सदस्य जिसके स्थान पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, की अधिशेष अवधि के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी ।

(5) इस अधिनियम के अधीन डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के परिणामों को अवधारित करने और सुनवाई के प्रयोजनों के लिए अनुशासनिक पैनल के अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, द्वारा एक तीन सदस्यों का सुनवाई पैनल विरचित किया जाएगा और ऐसा प्रत्येक पैनल अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके अध्यक्ष के रुप में, एक सदस्य जो चिकित्सा व्यवसायी हो और अन्य सदस्य जो कोई खेल प्रशासक या सेवानिवृत्त विख्यात एथलीट या हो, से मिलकर बनेगा ।

अपील पैनल ।

12. (1) बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन अपीलों की सुनवाई के प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अपील पैनल का गठन करेगा ।

(2) अपील पैनल निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :—

(क) एक अध्यक्ष, जो किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश है;

(ख) एक उपाध्यक्ष, ऐसा विधि विशेषज्ञ जिसके पास विधि व्यवसायी के रुप में दस वर्ष से अन्यून का अनुभव है;

(ग) दो सदस्य, ऐसे रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है, जिनके पास दस वर्ष से अन्यून का अनुभव है;

(घ) दो सदस्य जो दस वर्ष से अन्यून के लिए या सेवानिवृत्त विख्यात एथलीट या खेल प्रशासक हैं या रहे है;

(3) अपील पैनल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य, बोर्ड द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, दो वर्ष की पदावधि के लिए नियुक्त किए जाएंगे :

परंतु प्रत्येक सदस्य पुन:नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(4) यदि पैनल का कोई सदस्य मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा बोर्ड द्वारा ऐसे आधारों पर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, पैनल से हटाया जाता है तो बोर्ड ऐसी रिक्ति को भरने के लिए उस सदस्य जिसके स्थान पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, की अधिशेष अवधि के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को

नियुक्त कर सकेगी ।

(5) इस अधिनियम के अधीन अपील की सुनवाई के प्रयोजनों के लिए अपील पैनल के अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा एक तीन सदस्यों का सुनवाई पैनल विरचित किया जाएगा और ऐसा प्रत्येक पैनल अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उसके अध्यक्ष के रुप में, एक सदस्य जो चिकित्सा व्यवसायी हो और अन्य सदस्य जो कोई खेल प्रशासक या सेवानिवृत्त विख्यात एथलीट हो, से मिलकर बनेगा ।

वार्षिक रिपोर्ट ।

13. (1) बोर्ड,ऐसे प्ररुप और रीति में जो विहित की जाए, केंद्रीय सरकार को धारा 10 के अधीन उसके कृत्यों के अनुसरण में उसके द्वारा किए गए उपायों, प्रस्तावों, किए गए शोधों और किए गए अन्य उपायों को अंतर्विष्ट करते हुए एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 4

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण

राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण का निगमन ।

14. (1) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण, सोसाइटी के रूप में स्थापित और इस अभिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व उसी रूप में कार्य करने वाला, का उसी नाम द्वारा एक निगमित निकाय का गठन किया जाता है जो एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और इस अभिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए जिसे जंगम और स्थावर दोनों ही प्रकार की संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा उस नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(2) अभिकरण का मुख्यालय दिल्ली में होगा ।

(3) अभिकरण की अध्यक्षता, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले महानिदेशक के रुप में पदाभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी :

परंतु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने से पूर्व नियुक्त महानिदेशक और उसी रूप में पदधारण करने वाला व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन महानिदेशक के रुप में नियुक्त हुआ समझा जाएगा ।

(4) केंद्रीय सरकार, बोर्ड के परामर्श से उसके कृत्यों के निर्वहन में अभिकरण की सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों की संख्या, प्रवर्ग और प्रकृति तथा अन्य कर्मचारिवृंद अवधारित करेगी और अभिकरण को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो यह ठीक समझे ।

(5) महा निदेशक, अधिकारियों और अभिकरण के कर्मचारिववृन्द को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, ऐसे होंगे, जो विहित किए जाएं ।

(6) अभिकरण के क्रियाकलापों की निगरानी की शक्ति बोर्ड में निहित होगी ।

महानिदेशक ।

15. (1) महानिदेशक, केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों के बीच में से किया जाएगा जो सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता तथा ऐसी अर्हताएं और अनुभव जो विहित की जाएं, रखता हो ।

(2) महानिदेशक पूर्णकालिक आधार पर तीन वर्ष की अवधि के लिए पद

धारण करेगा जिसका ऐसी और अवधि के लिए जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे, विस्तार किया जा सकेगा।

(3) महानिदेशक, धारा 16 में विनिर्दिष्ट अभिकरण के कृत्यों के निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग करने हेतु उत्तरदायी होगा ।

(4) बोर्ड, महानिदेशक को समय-समय पर ऐसी और जिम्मेदारियां समनुदेशित कर सकेगा जो खेल में डोपिंग उन्मूलन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वह समीचीन समझे ।

(5) महानिदेशक कार्यालय में उसकी मृत्यु, त्यागपत्र या अन्यथा के कारण रिक्ति उद्भूत होने की दशा में, केंद्रीय सरकार, ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जब तक कोई नया महानिदेशक नियुक्त किया जाता है तब तक किसी अन्य व्यक्ति को महानिदेशक के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।

(6) जहां महानिदेशक, अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, वहां केंद्रीय सरकार किसी अन्य व्यक्ति को उस तारीख तक जिस तक महानिदेशक अपने कर्तव्यों के भार को पुन:संभालता है, महानिदेशक के रुप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।

(7) महानिदेशक, केन्द्रीय सरकार को लिखित में कम से कम तीस दिन की सूचना देकर अपने पद का त्याग कर सकेगा ।

परंतु ऐसा त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको केंद्रीय सरकार इसे स्वीकृत करती है ।

(8) केंद्रीय सरकार, महानिदेशक को उसकी पदावधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता या ऐसे किसी अन्य आधार पर, ऐसे आरोप के विरुद्ध कारण दर्शित करने का सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, हटा सकेगी ।

(9) महानिदेशक के पास अभिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारिवृंद का प्रशासनिक नियंत्रण होगा ।

अभिकरण के कृत्य और शक्तियां ।

16. (1) अभिकरण, डोपिंग रोधी नियमों और नीतियों, जो इस संहिता के अनुरुप हों, के अंगीकरण और कार्यान्वयन और भारत में खेलों में डोप स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम की मानीटरी, संवर्धन और समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा ।

(2) अभिकरण की इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी होगी और वह राष्ट्रीय स्तर पर नमूनों के संग्रहण, परीक्षण परिणाम व्यवस्था और परिणाम प्रबंधन संचालन हेतु निदेश दे सकेगा ।

(3) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अभिकरण निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात :—

(क) डोपिंग रोधी क्रियाकलापों की योजना, समन्वय, कार्यान्वयन और मॉनीटरी जिसके अंतर्गत प्रभावी परीक्षण और पता-ठिकाना प्रबंधन भी है;

(ख) डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रोकने के उपाय;

(ग) डोपिंग रोधी जागरुकता और उपायों की वकालत;

(घ) किसी डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन की जांच और परिणाम प्रबंधन संचालन;

(ङ) ऐसे डोपिंग रोधी नियम और नीतियों को अंगीकरण और कार्यान्वित करना जो इस संहिता और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरुप हैं और ऐसे नियमों और नीतियों के अनुसार उसके कृत्यों का निर्वहन;

(च) अधिनियम के अनुसार अभिसमय का कार्यान्वयन ;

(छ) एथलीटों, एथलीट सहयोगी कार्मिक और अन्य व्यक्तियों जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खेल फेडरेशन और अन्य खेल संगठन भी हैं, पर प्राधिकार का प्रयोग करते हुए डोपिंग रोधी नियमों का प्रवर्तन ;

(ज) डोपिंग रोधी अनुसंधान को बढ़ावा देना,—

(झ) विश्व डोपिंग रोधी अभिकरण, अन्य डोपिंग रोधी संगठन, राष्ट्रीय खेल परिसंघ और अंतर्राष्ट्रीय परिसंघ के साथ सहयोग और समन्वय करना

(ञ) विपणन और पोषणकारी आहार में सर्वोत्तम पद्धति की स्थापना से संबंधित विषयों के संबद्ध अधिकारियों और पणधारियों जिसके अन्तर्गत उनकी विश्लेषणात्मक संरचना और गुणवत्ता आश्वासन से संबंधित जानकारी भी है, में सहकार और सहयोग करना

(ट) खेल निकायों, अधिकारियों द्वारा संचालित प्रतियोगिता या आयोजन, अन्य डोपिंग रोधी संगठन और अभिकरण के मध्य डोपिंग, उपादानों, डोपिंग पद्धतियों या किसी अन्य डोपिंग रोधी नियम के अतिक्रमण के उपयोग से संबंधित जानकारी के आदान-प्रदान और मुक्त प्रवाह को सुकर बनाना ।

(ठ) अभिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों और अभिकरण द्वारा लगाए गए ऐसे अन्य व्यक्तियों या अभिकरणओं के लिए आचरण संहिता की स्थापना करना

(ड) भारत में खेल के लिए पोषणकारी आहार के विनिर्माण के लिए मानकों की स्थापना करना

(ढ) बोर्ड के विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य क्रियाकलाप को करना जो खेलों में डोपिंग को समाप्त करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समीचीन हो सकता है ।

(4) अभिकरण अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे विनियम बना सकती है, जो वह आवश्यक समझे ।

समितियां गठित करने की शक्ति ।

17. अभिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कार्य के निर्वहन के लिए ऐसी समितियां, जिसके अन्तर्गत चिकित्सीय छूट समिति, अन्वेषण समिति, नमूना संग्रहण और परीक्षण समिति, परिणाम प्रबंधन समिति, शिक्षा समिति और अनुशास्ति समिति, जो ऐसी रीति में इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए भी है, गठित कर सकती है जो वह उचित समझे ।

अभिकरण द्वारा अन्वेषण दलों और विशेषज्ञों की प्रस्थापना और वृतिकों का गठन ।

18. (1) जहां अभिकरण ऐसा करना आवश्यक समझती है, वह इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों को पूरा करने के प्रयोजन के लिए, एक या अधिक अन्वेषण दल गठित कर सकती है जिसमें ऐसे अधिकारी या ऐसे व्यक्ति

होंगे, जो आवश्यक हों ।

(2) अभिकरण इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन में अभिकरण की सहायता करने के लिए विशेषज्ञों और वृत्तिकों की ऐसी संख्या प्रस्थापित कर सकती है जिनके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हैं और ऐसी रीति में, जो इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

अध्याय 5

डोपिंग नियंत्रण प्रक्रिया

प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति ।

19. (1) जहां अभिकरण को यह विश्वास करने का कारण है कि एक खिलाड़ी या खिलाड़ी समर्थक कार्मिक या कोई अन्य व्यक्ति जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, ने किसी डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन किया है तो अभिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसार— 1974 का 2

(क) यदि किसी डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन किया गया है या हो रहा है तब इसका निरीक्षण करने, परीक्षण करने या अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी सहायता के साथ, जो आवश्यक समझी जाती है, किसी स्थान पर, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश करें ;

(ख) किसी परिसर में जिसमें अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन किया गया है, या किया जा रहा है, या होने वाला है तलाशी ले ;

(ग) यदि ऐसा अधिकारी यह विश्वास करता है कि यह ऐसे डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन का साक्ष्य दिया जाए या किसी डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन को रोकने या कम करने के लिए अभिग्रहण आवश्यक है तब किसी उपस्कर, युक्ति, विषय-वस्तु, अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य भौतिक वस्तु को अभिग्रहीत करें ।

नमूना संग्रहण और परीक्षण की शक्ति ।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस धारा के अधीन अन्वेषण या कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया ऐसी होगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

नमूने इकट्ठे करने और जांच करने की शक्ति ।

20. जहां अभिकरण के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी खिलाड़ी ने डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन किया है, वहां ऐसी प्रक्रिया के अनुसार और ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसे खिलाड़ी के परीक्षण करने के लिए नमूमा प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा ।

परिणाम प्रबंधन प्रक्रिया ।

21. (1) डोप परीक्षण प्रयोगशाला में खिलाड़ी के नमूने में किसी प्रतिषिद्ध पदार्थ की उपस्थिति दर्शाती प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् अभिकरण ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए रिपोर्ट का प्रारंभिक परीक्षण पूरा करेगी और यह सत्यापित करेगी कि क्या ऐसे खिलाड़ी को ऐसे पदार्थ के संबंध में चिकित्सीय उपयोग छूट प्राप्त है ।

(2) जहां धारा (1) के अधीन परीक्षण और सत्यापन के पश्चात्, अभिकरण संतुष्ट है कि खिलाड़ी को चिकित्सीय उपयोग छूट प्रदत्त नहीं की गई है, यह ऐसी कार्यवाहियां और ऐसी रीति में करेगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

22. (1) इस अधिनियम के अधीन डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन का आयोग प्रख्यापित खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति अभिकरण द्वारा नोटिस जारी करने के पश्चात्, यदि ऐसा खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में सुनवाई के उसके अधिकार का अधित्यजन नहीं करता है, अभिकरण ऐसे डोपिंगरोधी नियम के उल्लंघन के परिणामों की सुनवाई और अवधारण के लिए ऐसा मामला अनुशासनात्मक पैनल को निर्दिष्ट करेगा । अनुशासनात्मक पैनल द्वारा सुनवाई और उसके परिणामों का अवधारण ।

(2) अनुशासनात्मक पैनल किसी मामले, जो उसे निर्दिष्ट किया गया है, से उद्भूत होने वाले सभी विवाद्यकों को सुनेगा और अवधारित करेगा और डोपिंगरोधी नियम के उल्लंघन के परिणाम का अवधारण करेगा ।

(3) प्रत्येक पक्षकार को प्रतिनिधित्व करने का और एक दुभाषिया रखने का अधिकार होगा; और उनकी अपनी लागत होगी ।

(4) अनुशासनात्मक पैनल के पास अपने स्व-विवेक पर, ऐसे मामलों पर सहायता या सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ को नियुक्त करने की शक्ति होगी, जैसा अपेक्षित हो ।

(5) ऐसे विनियमों के अध्यधीन, जो बोर्ड द्वारा बनाए जा सकते हैं, अनुशासनात्मक पैनल के पास अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(6) अनुशासनात्मक पैनल के स्व-विवेक के अध्यधीन, कार्यवाही के प्रत्येक पक्षकार को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार होगा जिसके अन्तर्गत साक्षियों को बुलाने और पूछताछ करने का अधिकार भी है ।

(7) कार्यवाही के पक्षकार ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, विश्वसनीय सभी दस्तावेजों के साथ लिखित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत कर सकते हैं ।

(8) अनुशासनात्मक पैनल सभी पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और उसके समक्ष रखे गए सभी साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात्, सर्वसम्मति से या बहुमत से लिखित आदेश द्वारा, धारा 6 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार डोपिंगरोधी नियम के उल्लंघन के परिणाम का अवधारण करेगा ।

(9) अनुशासनात्मक पैनल का निर्णय ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए संसूचित किया जाएगा ।

23. (1) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन किसी निर्णय द्वारा व्यथित है, जिसमें— अपील पैनल द्वारा अपील की सुनवाई ।

(क) धारा 5 के अधीन चिकित्सीय उपयोग छूट देने से इंकार; या

(ख) धारा 6 के अधीन डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के लिए परिणाम का अधिरोपण

(ग) ऐसे अन्य निर्णय जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, सम्मिलित हैं,

अपील पैनल को ऐसे प्ररुप में, ऐसे समय के भीतर, और ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अपील प्रस्तुत कर सकता है ।

(2) ऐसे विनियमों के अध्यधीन, जो बोर्ड द्वारा बनाए जा सकते हैं, अपील पैनल के पास अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(3) अपील पैनल के पास अपने स्वविवेक पर, ऐसे मामलों पर सहायता या सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ को नियुक्त करने की शक्ति होगी ।

(4) प्रत्येक पक्षकार को प्रतिनिधित्व करने का और एक दुभाषिया रखने का अधिकार होगा और उसकी अपनी लागत होगी ।

(5) अपील पैनल के स्वविवेक के अध्यधीन, कार्यवाही के प्रत्येक पक्षकार को साक्ष्य प्रस्तुत करने का, साक्षियों को बुलाने और परीक्षा करने और लिखित और मौखिक निवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार होगा ।

(6) अपील पैनल शीघ्रतिशीघ्र सुनवाई पूरी करेगा, और अनुशासनात्मक पैनल के आदेश की तारीख से तीन माह के भीतर ऐसी अपील को निपटाने का प्रयास करेगा ।

(7) अपील पैनल सभी पक्षकारों को सुनने के पश्चात् और उसके समक्ष रखे गए सभी साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात्, सर्वसम्मति से या बहुमत से लिखित आदेश द्वारा, अनुशासनात्मक पैनल के आदेश की या तो पुष्टि या परिवर्तित या अपास्त करेगा ।

(8) अपील पैनल का निर्णय ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए संबद्ध पक्षकारों को संसूचित किया जाएगा ।

(9) कोई व्यक्ति जो अपील पैनल के निर्णय द्वारा व्यथित है खेल के लिए मध्यस्थता के न्यायालय को अपील प्रस्तुत कर सकता है, ऐसे नियमों के अनुसार जो खेल और संहिता के लिए मध्यस्थता के न्यायालय द्वारा उपबंधित किया जाए ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा जो "खेल और संहिता के लिए मध्यस्थता के न्यायालय" का अर्थ 1984 में स्थापित एक अन्तर्राष्ट्रीय निकाय से है जो मध्यस्थता के माध्यम से खेल से संबंधित विवाद को निपटाते हैं जिसका मुख्यालय लुसाने, स्विटरलैण्ड में हैं ।

अध्याय 6

वित्त, लेखा, संपरीक्षा और रिपोर्ट

केन्द्रीय सरकार को अनुदान ।

24. केन्द्रीय सरकार इस संबंध में विधि द्वारा संसद् द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् ऐसी रकम अनुदत्त कर सकेगी, जो इन अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु और अभिसमय के अधीन उसकी बाध्यताओं के अनुपालन हेतु केन्द्रीय सरकार उपयुक्त समझे और ऐसी विधियों को धारा 26 का उपधारा (1) या उपधारा (2) के धारा (ख) के अधीन स्थापित बोर्ड, अभिकरण और अन्य राष्ट्रीय डोपिंग परीक्षण प्रयोगशाला (जिसे इस अध्याय के अधीन संबद्ध निकाय कहा गया है) की प्रशासनिक और प्रचालन अपेक्षाओं को ऐसी रीति में विनियमों द्वारा विहित की जाए पूरा करने के लिए उपयोग में लिया जाएगा ।

लेखा और संपरीक्षा ।

25. (1) संबद्ध निकाय उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेंगे और लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, ऐसे प्ररुप में तैयार करेंगे जैसा केन्द्रीय सरकार के भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से परामर्श करके विहित करे ।

(2) संबद्ध निकाय के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, की

जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई भी व्यय संबद्ध निकाय द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को संदेय होगा ।

(3) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक संबद्ध निकाय के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में वे ही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो साधारणतया भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखे की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और उसे विशिष्ट रूप से बहियां, लेखा, संबंधित वाउचर और अन्य दस्तावेज और कागज पेश किए जाने की मांग करने और संबद्ध निकायों के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित संबद्ध निकायों के लेखे उनके संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ हर वर्ष संबद्ध निकायों द्वारा केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और वह सरकार, यथाशीघ्र इसे प्राप्त होने के पश्चात् उन्हें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

डोप परीक्षण प्रयोगशालाएं ।

26. (1) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले इस अधिनियम के अधीन स्थापित प्रमुख डोप परीक्षण प्रयोगशाला समझी जाएगी और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति में जो विहित की जाए कार्य करना जारी रखेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार—

(क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन डोप परीक्षण प्रयोगशाला को सौंपे गए कार्यों को करने के लिए भारत के भीतर स्थित एक या अधिक प्रयोगशालाओं या अभिकरणओं को डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं के रूप में मान्यता देना;

(ख) एक या अधिक राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशालाएं, जिसके अन्तर्गत डोपिंग रोधी विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में किए जा रहे अनुसंधान के लिए प्रयोगशालाएं भी हैं, स्थापित की जा सकती हैं –

परन्तु कि इस धारा के अधीन मान्यताप्राप्त या स्थापित प्रत्येक डोप परीक्षण प्रयोगशाला, यदि अपेक्षित हो, विश्व डोपिंग रोधी अभिकरण या ऐसे अन्य प्रत्यापित निकायों का प्रत्यापन अभिप्राप्त कर सकती है और इस अधिनियम के अधीन डोप परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में जारी रखने के लिए अपेक्षित प्रत्यापन का एक शर्त के रूप में अनुरक्षण करेगी ।

(3) इस धारा के अधीन स्थापित या मान्यताप्राप्त प्रत्येक राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला और अन्य डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्राधिकार होगा—

(i) अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं होने वाले किसी भी खेल परिसंघ या खेल आयोजन के लिए नमूने का परीक्षण करना ;

(ii) किसी भी राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय आयोजन से भिन्न अन्य खेलों

का नमूना विश्लेषण करना ;

(iii) कोई अन्य जांच या नमूनों का विशलेषण करता है जो विहित किया जाए ।

(4) केन्द्रीय सरकार इसके लिए नियम का उपबंध कर सकती है—

(क) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के तकनीकी और गैर-तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और अनुभव;

(ख) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के तकनीकी और गैर-तकनीकी स्टाफ को संदेय वेतन और भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों;

(ग) डोप परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, मान्यता, अनुरक्षण और संचालन के लिए मानकों और ऐसी डोप परीक्षण प्रयोगशाला को मान्यता प्रदान करने की रीति;

(घ) डोप परीक्षण प्रयोगशाला के कार्य, विश्लेषण या परीक्षण और अन्य मानक संचालन प्रक्रियाओं के लिए नमूनों को उक्त प्रयोगशाला को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ।

खिलाड़ी का डाटा और डाटाबेस का अनुरक्षण ।

27. (1) अधिनियम के उद्देश्यों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए और गोपनीयता तथा व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानक सहित लागू डेटा गोपनीयता नियमों के अनुसार अभिकरण के पास निम्नलिखित व्यक्तिगत डाटा संग्रहीत करने, उपयोग करने और प्रस्संकरण करने की शक्ति होगी, अर्थात्:—

(क) खिलाड़ी का लिंग;

(ख) अधिनियम के अधीन एक खिलाड़ी द्वारा किए गए डोपिंग रोधी उल्लंघनों की सूची और ऐसे उल्लंघन के ब्यौरे;

(ग) खिलाड़ी का चिकित्सा इतिहास;

(घ) खिलाड़ी के बारे में जानकारी;

(ङ) कोई अन्य व्यक्तिगत डाटा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) अभिकरण उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत डाटा के संग्रहण, उपयोग, प्रस्संकरण और प्रकटीकरण के लिए प्रक्रिया को शासित करने के लिए विनियम बना सकती है ।

(3) अभिकरण, अनुशासनात्मक पैनल, अपील पैनल द्वारा अधिनिर्णीत सभी अनुशास्तियों और अनुशास्तियों के अन्य ब्यौरों के अभिलेख ऐसी रीति में जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अभिकरण डेटाबेस की स्थापना और अनुरक्षण करेगी ।

(4) अभिकरण डोपिंग रोधी विषयों, जिसमें खेल, उल्लंघित किए गए डोपिंग रोधी नियम, खिलाड़ी या डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य व्यक्ति का नाम, प्रतिषिद्ध पदार्थ या अंतवर्लित प्रतिषिद्ध पद्धति (यदि कोई हो) और अधिरोपित परिणाम भी सम्मिलित हैं, का प्रबंधन ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सार्वजनिक रूप से प्रकट करेगी ।

28. (1) इस अधिनियम के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम ऐसे खिलाड़ियों या खेल निकायों या प्रतियोगिता या आयोजन को ऐसे अन्य स्तर पर लागू होंगे, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें । अधिनियम, नियमों और विनियमों का अन्य खिलाड़ियों और खेल निकायों आदि को लागू होना।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जिसको उपधारा (1) के अधीन यह अधिनियम लागू होता है इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा आबद्ध होंगे और अनुपालन के लिए बाध्य होंगे ।

29. केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए नियम बना सकती है, अर्थात् :— नियम बनाने की शक्ति ।

(क) धारा 7 की उपधारा (9) के अधीन, अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(ख) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन, अधिकारियों और बोर्ड के अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(ग) प्ररुप और रीति जिसमें धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी;

(घ) धारा 14 के उपधारा (3) की अधीन अभिकरण के महानिदेशक, अधिकारियों और अन्य स्टाफ को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(ङ) धारा 13 के उपधारा (1) की अधीन महानिदेशक के रुप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और अनुभव;

(च) प्ररुप जिसमें धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा ।

(छ) रीति जिसमें धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कार्यों का संपादन करेगी;

(ज) धारा 26 की उपधारा (3) के खंड (iii) के अधीन अन्य जांच या नमूनों का विशलेषण करने की रीति;

(झ) धारा 26 के उपधारा (4) की धारा (क) के अधीन राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के तकनीकी और गैर तकनीकी स्टाफ के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और अनुभव;

(ञ) धारा 26 के उपधारा (4) के धारा (ख) के अधीन राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के तकनीकी और गैर तकनीकी स्टाफ को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

(ट) धारा 26 के उपधारा (4) की धारा (ग) के अधीन डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, मान्यता, अनुरक्षण और संचालन के लिए मानक और ऐसी प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करने की रीति;

(ठ) धारा 26 के उपधारा (4) की धारा (घ) के अधीन डोप परीक्षण प्रयोगशाला के कार्य और विश्लेषण या परीक्षण के लिए नमूनों को उक्त प्रयोगशाला को प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया;

(ड) समागम के अधीन देश के दायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य मामले जो विहित किए गए या किए जाएं ।

बोर्ड द्वारा विनियम बनाने की शक्ति ।

30. बोर्ड, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सभी या किन्हीं निम्नलिखित विषयों के लिए जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, विनियम बना सकती है, अर्थात् :—

(क) धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन बोर्ड (जिसके अंतर्गत, गणपूर्ति भी है) की बैठकों पर कारबार के आदान-प्रदान के लिए बैठकों और प्रक्रिया के लिए समय और स्थान;

(ख) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अनुशासनिक पैनल के गठन की रीति;

(ग) अनुशासनात्मक पैनल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति की रीति और ऐसी नियुक्तियां, शर्तें जिसके अध्यधीन ऐसी नियुक्ति धारा 11 के उपधारा (3) के अधीन की जाएंगी;

(घ) वे आधार जिस पर धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन अनुशासनिक पैनल के सदस्य को हटाया जा सकता है;

(ङ) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन अपील पैनल को गठित करने की रीति;

(च) अपील पैनल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति की रीति और शर्तें जिसके अध्यधीन ऐसी नियुक्ति धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन की जाएंगी;

(छ) वे आधार जिस पर धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन अपील पैनल के सदस्यों को हटाया जा सकता है;

(ज) धारा 16 की उपधारा (3) के धारा (ट) के अधीन खेल में डोपिंग को अलग करने के लिए अभिकरण द्वारा किए जाने वाले अन्य क्रियाकलाप;

(झ) धारा 22 की उपधारा (5) के अधीन अनुशासनात्मक पैनल द्वारा अनुपालित की जाने वाली प्रक्रिया;

(ञ) रीति जिसमें और वह समय जिसके भीतर धारा 22 की उपधारा (7) के अधीन लिखित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया जाना है ।

(ट) धारा 22 की उपधारा (9) के अधीन अनुशासनिक पैनल के निर्णय को संसूचित करने की रीति;

(ठ) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन अन्य निर्णय जिसके विरुद्ध अपील फाइल की जाए और प्ररुप तथा रीति जिसमें और वह समय जिसके भीतर अपील फाइल की गई;

(ड) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन अपील पैनल द्वारा अनुपालित की जाने वाली प्रक्रिया;

(ढ) धारा 23 की उपधारा (8) के अधीन अपील पैनल के निर्णय को संसूचित करने की रीति;

(ण) धारा 24 के अधीन बोर्ड और रीति जिसमें अभिकरण द्वारा निधि का उपयोग किया जाना है;

(त) कोई अन्य मामला जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट या समागम के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए किए गए या किया जाए धारा 31 के अधीन उन मामलों

के सिवाय जिनके लिए अभिकरण को नियम बनाने की शक्ति है ।

अभिकरण द्वारा विनियमों को बनाने की शक्ति ।

31. (1) अभिकरण संहिता को प्रभाव देने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए निम्नलिखित मामलों पर विनियम बना सकती है—

(क) विश्व डोपिंग रोधी अभिकरण द्वारा जारी किए गए परीक्षण और अन्वेषण के लिए संहिता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित परीक्षण और विश्लेषण और नमूना संग्रहण के लिए प्रक्रिया, पद्धतियां और मानक;

(ख) नमूनों का संग्रहण, भंडारण और अवधारण और नमूनों के संबंध में परिणाम प्रबंधन के लिए प्रक्रिया और मानक;

(ग) डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघनों का अन्वेषण और निर्धारण और डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के लिए अनुशास्तिके अधिरोपण के लिए प्रक्रिया;

(घ) डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन करने वाले अभिकथित खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति का नकारात्मक विश्लेषण निष्कर्ष और प्रतिकूल विश्लेषण निष्कर्ष और अनंतिम निलंबनशासित करने वाले सिद्धांतों के लिए प्रक्रिया;

(ङ) चिकित्सीय उपयोग छूट निर्धारित और प्रदान करने के लिए प्रक्रियाएं, पद्धतियां और मानक;

(च) प्रतिबंधित खिलाड़ी के पुर्नप्रवेश के लिए प्रक्रिया;

(छ) खिलाड़ियों के प्रतिभागिता परीक्षण के लिए, परीक्षण के लिए क्रियाविधि और खिलाड़ियों के प्रतिभागिता परीक्षण से संबंधित अन्य मामलों के लिए अनुपालित की जाने वाली प्रक्रिया;

(ज) प्रतियोगिता से बाहर परीक्षण के लिए अर्हक खिलाड़ी के लिए प्रक्रिया और खिलाड़ी के प्रतियोगिता के बाहर परीक्षण करने की प्रक्रिया, ऐसे खिलाड़ी का डाटा संग्रह और खिलाड़ी के प्रतियोगिता परीक्षण से संबंधित कोई भी मामला;

(झ) डोपिंग की समस्या के संबंध में संवेदनशील खिलाड़ियों, खिलाड़ी समर्थक कार्मिक, अन्य व्यक्ति और अन्य संबद्ध पणधारियों के लिए खेल डोपिंग और परीक्षण और पद्धति के संबंध में अनुसंधान और वकालत के प्रोत्साहन के लिए उपाय;

(ञ) खेल के नैतिक मूल्य और डोपिंग के स्वास्थ्य परिणाम के लिए डोपिंग के नुकसान पर अद्यतन और सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए डोपिंग रोधी नियंत्रण सक्रियता और डोपिंग रोधी शिक्षा, प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रमों को लागू करने की रीति;

(ट) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा शक्ति के किसी भी प्रयोग के संबंध में परिसर की तलाशी और अभिग्रहण, नमूनों का संग्रहरण, जानकारी और डेटा के बारे में संग्रहण और किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर देरी, विनाश या गलत जानकारी के उपबंध के परिणाम;

(ठ) खेल में डोपिंग उन्मूलन के लिए उपाय करने की रीति;

(ड) रीति, जिसमें खेल निकायों, अधिकारियों द्वारा संचालित प्रतियोगिता या आयोजन और अन्य डोपिंग रोधी संगठन डोपिंग पदार्थों के उपयोग, डोपिंग पद्धतियों या किसी भी डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन से

संबंधित जानकारी अभिकरण के साथ साझा करते हैं ।

(ढ) रीति, जिसमें अभिकरण द्वारा बोर्ड द्वारा सिफारिशों पर विचार किया जाए ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अभिकरण निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों पर अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विनियम बना सकती है—

(क) धारा 2 के खंड (यक) के अधीन प्रतिषिद्ध सूची में प्रतिषिद्ध पदार्थों और प्रतिषिद्ध पद्धतियां;

(ख) धारा 4 के खंड (घ) के स्पष्टीकरण के खंड (iii) के अधीन अन्य लोप या असफलता;

(ग) धारा 4 के खंड (2) के अधीन खिलाड़ी समर्थक कार्मिकों का प्रतिषिद्ध संगम;

(घ) धारा 4 के खंड (1) के अधीन अन्य परिस्थितियां, या अन्य कार्य या आचरण में सम्मिलित है, वह रकम जो डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन की है;

(ङ) धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन और मानदंडों पर विचार करने की रीति;

(च) धारा 5 की उपधारा (3) प्रदत्त चिकित्सीय उपयोग छूट के प्रदान करने या नामंजूर करने की रीति;

(छ) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन परिणाम के अनर्हक अधिरोपण करने की रीति;

(ज) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन किसी प्रतियोगिता या आयोजन या अन्य गतिविधि या वित्त पोषण में भाग लेने की अपात्रता और ऐसी अपात्रता की अवधि को अधिरोपित करने की रीति;

(झ) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन किसी प्रतियोगिता या गतिविधि में भाग लेने से अंनतिम निलंबन अधिरोपित करने की रीति;

(ञ) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन लागत की आनुपातिक वसूली सहित वित्तीय मंजूरी अधिरोपित करने की रीति;

(ट) धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ङ) के अधीन अन्य परिणाम;

(ठ) धारा 6 की उपधारा (ट) के अधीन खेल टीम के लिए डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के परिणाम;

(ड) धारा 16 की उपधारा (3) के धारा (1) के अधीन अभिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों और अभिकरण द्वारा नियुक्त ऐसे अन्य व्यक्तियों या अभिकरणों के लिए आचार संहिता;

(ढ) धारा 16 की उपधारा (4) के अधीन अभिकरण के कार्यों का प्रभावी निर्वहन;

(ण) धारा 17 के अधीन समितियां गठित करने की रीति;

(त) धारा 18 की उपधारा (2) के अधीन, अभिकरण द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों और वृत्तिकों की संख्या, उनके पास होने वाली अर्हताएं और अनुभव और रीति जिसमें वे नियुक्त किए गए हैं;

(थ) धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन अन्वेषण और कोई अन्य की गई कार्रवाई के लिए प्रक्रिया;

(द) धारा 20 के अधीन परीक्षण के लिए नमूनें प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया और रीति;

(ध) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन डोप परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट का प्रारंभिक परीक्षण अनुपालित करने की रीति;

(न) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई किस प्रकार से की जा सकती है;

(प) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन सुनवाई के अधिकार का अधित्यक्त करने की रीति;

(फ) धारा 27 की उपधारा (1) के धारा (ङ) के अधीन अन्य व्यक्तिगत डाटा;

(ब) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन व्यक्तिगत डाटा के संग्रहण, उपयोग, प्रस्संकरण और निपटान की प्रक्रिया;

(भ) धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन अनुशास्तियों के अन्य ब्यौरे, और डेटाबेस स्थापित और अनुरक्षित करने की रीति;

(म) धारा 27 की उपधारा (4) के अधीन सार्वजनिक प्रकटीकरण करने के लिए प्रक्रिया;

(य) कोई अन्य विषय, जो संहिता को प्रभावी बनाने और अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुपालन के लिए विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं, किए जाएं ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

32. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, उसके बनाए के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन नियम और विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम और विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम और विनियम निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम और विनियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

33. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों;

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

संक्रमणकालीन उपबंध ।

34. इस अधिनियम के प्रारंभ पर—

(क) सोसाइटियों, अर्थात्, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला विघटित कर दी जाएगी;

(ख) किसी अनुबंध या अन्य लिखत में सोसाइटी के किसी संदर्भ के इस अधिनियम के अधीन स्थापित, यथास्थिति राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण या राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा ।

(ग) सोसाइटी की या उससे संबंधित सभी संपत्तियां, मूर्त और अमूर्त, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण या राष्ट्रीय डोपिंग रोधी प्रयोगशाला में निहित होंगी, यथास्थिति, इस अधिनियम के अधीन स्थापित की जाएंगी;

(घ) सोसाइटी के सभी अधिकार और दायित्व इस अधिनियम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण या राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला, यथास्थिति, के अधिकारों और दायित्वों को अंतरित किया जाएगा ।

(ङ) सोसाइटी द्वारा ऐसे प्रारंभ से ठीक पूर्व नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, यथास्थिति, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण या राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में उसी पदावधि, उसी पारिश्रमिक और उन्हीं निबंधनों और शर्तों तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विषयों के प्रति समान अधिकारों और विशेषाधिकारों पर पद धारण करेगा, जिन पर वह पद धारण करता, यदि यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया था और वह ऐसा करना तब तक जारी रखेगा जब तक उसके नियोजन को समाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक ऐसी पदावधि, पारिश्रमिक और निबंधनों और शर्तों को इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं विनियमों द्वारा परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है :

परंतु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो उसके नियोजन को, यथास्थिति, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण या राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा उस कर्मचारी के साथ संविदा के निबंधनों के अनुसार या यदि इस निमित्त उनमें कोई उपबंध नहीं किया गया है तो, यथास्थिति, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण या राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा स्थायी कर्मचारियों की दशा में तीन मास के पारिश्रमिक के और अन्य कर्मचारियों की दशा में एक मास के पारिश्रमिक समतुल्य का संदाय करके समाप्त किया जा सकेगा ।

(च) यदि सोसाइटी द्वारा या सोसाइटी के विरुद्ध कोई लंबित कार्यवाहियां है, जिसके अंतर्गत कोई अनुशासनिक, माध्यस्थम्, अपील या किसी भी प्रकृति की विधिक कार्यवाहियां लंबित हैंतो उनका सोसाइटी के इस अधिनियम के अधीन निगमन के कारण उपशमन नहीं हो जाएगा या उन्हें जारी रखना समाप्त नहीं हो जाएगा, किंतु ऐसी कार्यवाहियों का, यथास्थिति,राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण या राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशालाद्वारा या उनके विरुद्ध प्रवर्तन उस परिमाण तक जारी रहेगा मानो वे सोसाइटी द्वारा जारी रहती या सोसाइटी के विरुद्ध प्रवर्तित रहती यदि अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया होता ।

(छ) ऐसे प्रारंभ से पूर्व बनाए गए नियम और विनियम, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से संगत हैं, का तब तक लागू रहना जारी रहेगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन नए नियम और विनियम नहीं बना लिए जाते हैं ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारत सरकार, 1999 से 2002 तक विश्व डोपिंग रोधी अभिकरण के फाउन्डेशन बोर्ड के सदस्यों में से एक थी । इसने 2005 में खेल में डोपिंग के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को हस्ताक्षरित किया और नवंबर, 2007 में अनुसमर्थित किया है । उक्त अभिसमय के अनुसमर्थन के अनुसरण में, भारत सरकार ने 2008 में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को स्थापित किया और उसके अधीन 2009 में राष्ट्रीय डोपिंगरोधी अभिकरण ने भारत की प्रतिबद्धता को पूरा किया है । उक्त अभिसमय का उद्देश्य इसके उन्मूलन के लिए खेलों में डोपिंग के निवारण को और उसके विरुद्ध लड़ाई को बढ़ावा देता है । अभिसमय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक राज्य पार्टी समुचित उपायों, जिसमें विधान, विनियम, नीति या प्रशासनिक पद्धतियां भी हैं, को अंगीकृत करने का कार्य करती है और उक्त अभिसमय में उपबंधित किए गए उपायों पर यथाआधारित विश्व डोपिंग रोधी संहिता के सिद्धांतों के लिए स्वयं को प्रतिबद्ध करती है ।

2. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला और अन्य डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन के लिए कानूनी रूपरेखा का उपबंध करना है और खेल में डोपिंग रोधी कार्यवाहियों को प्रोत्साहित करने के लिए खेल में डोपिंग के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड का सृजन करने के लिए और उक्त अभिसमय के उपबंधों का अनुपालन करता है ।

3. राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के लिए उपबंध करता है :—

(i) खेल में डोपिंग रोधी के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना और इसके लिए संरचना, शक्तियां और कृत्यों ;

(ii) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण का महानिदेशक की अध्यक्षता में स्थापना करना और उक्त अभिकरण की शक्तियों और कृत्यों, जिसके अंतर्गत शक्तियों का अन्वेषण, डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के लिए उद्धरण की मंजूरी देने की, अनुशासनिक प्रक्रियाओं को अंगीकृत करना और निरीक्षण, नमूना संग्रहण और सहभाजन और सूचना का मुक्त प्रवाह करना ;

(iii) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला और अन्य डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करना ;

(iv) भारत में डोप मुक्त खेलों को सुनिश्चित करने के लिए खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को चलाने के लिए रूपरेखा और तंत्र को प्रोत्साहित करना ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
10 दिसंबर, 2021

अनुराग सिंह ठाकुर

खंडो पर टिप्पण

विधेयक का खंड 2, विधेयक में प्रयुक्त विभिन्न शब्दों और पदों को परिभाषित करता है ।

विधेयक का खंड 3 खंल में डोपिंग के प्रतिषेध के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 4 एथलीट या एथलीट सहयोगी कार्मिक या अन्य व्यक्तियों द्वारा जो डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने वाले है, द्वारा परिस्थितियां, कार्य या व्यवहार के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 5 प्रतिषिद्ध पदार्थ या प्रतिषिद्ध रीति केसंबंध में चिकित्सीय प्रयोग हेतु छूट प्रदान करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 6 एथलीट द्वारा डोपिंगरोधी नियम के उल्लंघन के परिणाम के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 7 खेलों में डोपिंग रोधी राष्ट्रीय बोर्ड के स्थापन और गठन के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 8 बोर्ड की बैठकों के लिए और बोर्ड का प्रत्येक विनिश्चय जहां तक संभव हो साधारण बहुमत के आधार पर होगा ।

विधेयक का खंड 9 बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उनकी सेवा शर्तों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 10बोर्ड के कृत्यों और शक्तियों के बारे में उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 11 राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अनुशासनिक पैनल के गठन के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 12 राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अपील पैनल के गठन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 13 बोर्ड द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 14 राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण के निगमन, महानिदेशक की नियुक्ति के लिएजो अभिकरण का प्रधान होगा, का उपबंध करता है और अभिकरण का मुख्यालय दिल्ली में होने का भी उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 15 महानिदेशक की नियुक्ति, अर्हता और कर्तव्यों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 16 राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण की शक्तियों और कृत्यों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 17 विभिन्न समीतियों के गठन के लिए अभिकरण की शक्तियों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 18 अभिकरण द्वारा अन्वेषण दलों और विशेषज्ञों और वृत्तिकों के गठन का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 19 यह निर्धारति करने के उद्देश्य से अभिकरण द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा प्रवेश तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति प्रदान करता है कि क्या कोई डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन किया गया है और अपनायी जाने वाली

प्रक्रिया दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसार होने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 20 डोप-परीक्षण के प्रयोजनों के लिए नमूना एकत्रित करने की शक्ति का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड के 21 परिणाम प्रबंधन प्रक्रिया जिसमें चिकित्सीय उपयोग छूट की परीक्षा और सत्यापन सहित डोप परीक्षण प्रयोगशाला से प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जाने वाली कार्रवाई शामिल करने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 22 राष्ट्रीय डोपिंग-रोधी अनुशासनिक पैनल द्वारा डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन की सुनवाई करने और परिणामों का अवधारण करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 23 राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अपील पैनल द्वारा अपील की सुनवाई करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 24 केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 25 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा बोर्ड, अभिकरण और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के लेखा और संपरीक्षा के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 26 राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं और अन्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 27 खिलाड़ियो का डाटा संग्रहण करने और इस प्रयोजन के लिए डाटाबेस का अनुरक्षण करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 28 इस अधिनियम के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम ऐसे खिलाड़ियों या खेल निकायों या ऐसे अन्य स्तर पर प्रतियोगिता या आयोजन को लागू होंगे जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 29 केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम बनाने की शक्ति के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 30 बोर्ड की विनियम बनाने की शक्ति के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 31 अभिकरण की अंतर्राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार संहिता के प्रभावी अनुपालन के लिए विनियम बनाने की शक्ति के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 32 संसद के समक्ष नियमों और विनियमों के रखे जाने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 33 केन्द्रीय सरकार के कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 34 संक्रमणकालीन उपबंध, जिसके अंर्तगत अधिनियम के प्रारंभ पूर्व बनाए गए नियम और विनियम भी हैं जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नही है, के लिए उपबंध करता है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 7 का उपखंड (1) खेलों में डोपिंग रोधी के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना का उपबंध करता है और उसका उपखंड (9) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 9 का उपखंड (2) बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 11 का उपखंड (1) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अनुशासनिक पैनल के अध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष और दस सदस्यों से गठित होगी, के गठन के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 14 का उपखंड (1) राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अभिकरण की स्थापना के लिए और महानिदेशक की नियुक्ति के लिए उपबंध करता है । उपखंड (5) महानिदेशक, अधिकारियों और अभिकरण के कर्मचारिवृंद को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तोंके लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 18 का उपखंड (1) अभिकरण, ऐसा करना आवश्यक समझती है, ऐसे अधिकारियों या ऐसे व्यक्तियों से गठित, एक या अधिक अन्वेषण दल गठित करने का उपबंध करती है उसका उपखंड (2) अभिकरण अपने कार्यों के निर्वहन में अभिकरण की सहायता करने के लिए विशेषज्ञों और वृत्तिकों की ऐसी संख्या के प्रस्थापना की जिनके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हो और ऐसी रीति में, जो इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 24 केन्द्रीय सरकार द्वरा अभिसमय के अधीन अपनी बाध्यताओं के अनुपालन में बोर्ड, अभिकरण और राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के प्रशासनिक और प्रचालन अपेक्षाओं पर लगने वाले सभी व्ययों को पूरा करने के लिए ऐसी निधियों के उपयोग में अनुदान का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 26 का उपखंड (1) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के निगमन के लिए उपबंध करता है । उक्त खंड का उपखंड 2 की मद (ख), एक या अधिक राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं, जिसके अंतर्गत डोपिंग रोधी विज्ञान और संबंधित क्षेत्रों में किए जा रहे अनुसंधान के लिए प्रयोगशालाएं भी है, का उपबंध करता है ।

2. अभिकरण, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं और बोर्ड के सृजन के लिए कार्यवाहियों के क्षेत्र के विस्तार की और आवर्ती प्रकृति के 50 करोड़ रुपए की वार्षिक वित्तीय विवक्षा परिकल्पित है।

3. इस विधेयक में भारत की संचित निधि से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय अंतवर्लित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में ज्ञापन

विधेयक का खंड 29 केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित नियमों के साथ-साथ, नियम बनाने के लिए सशक्त करता है--(क) बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें; (ख) बोर्ड के अधिकारी और अन्य कर्मचारी को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ; (ग) प्ररुप और रीति जिसके अधीन वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ; (घ)अभिकरण के महानिदेशक, अधिकारियों और अन्य स्टाफ कोसंदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ; (ड.) महानिदेशक की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और अनुभव; (च) प्ररुप जिसके अधीन वार्षिक विवरण तैयार किया जाएगा; (छ) रीति जिसके अधीन राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला कार्यों का संपादन करेगी ; (ज) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला तकनीकी और गैर-तकनीकी स्टाफ के रुप में नियुक्ति के लिए अर्हताएं और अनुभव; (झ) राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला के तकनीकी और गैर-तकनीकी स्टाफ को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें ; (ञ) डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, मान्यता, अनुरक्षण और संचालन के लिए मानक और ऐसी प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान करने की रीति; (ट) डोप परीक्षण प्रयोगशाला के कार्य और विश्लेषण या परीक्षण के लिए नमूनों को उक्त प्रयोगशाला को प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया; (ठ) अभिसमय के अधीन देश के दायित्वों को पूरा करने के लिए कोई अन्य मामलो जो विहित किए जाएं या किए जाएं।

विधेयक का खंड 30 बोर्ड को निम्नलिखित नियमों के साथ-साथ नियम, बनाने के लिए सशक्त करता है--(क) बोर्ड (जिसके अंतर्गत, गणपूर्ति भी है) की बैठकों पर कारबार के आदान-प्रदान के लिए बैठकों और प्रक्रिया के लिए समय और स्थान; (ख) अनुशासनिक पैनल के गठन की रीति; (ग)अनुशासनात्मक पैनल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति की रीति और ऐसी नियुक्तियां, शर्तें जिसके अध्यधीन ऐसी नियुक्ति की जाएंगी ; (घ) वे आधार जिस पर अनुशासनिक पैनल के सदस्य को हटाया जा सकता है ; (ड.) अपील पैनल को गठित करने की रीति ; (च) अपील पैनल के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति की रीति और शर्तें जिसके अध्यधीन ऐसी नियुक्ति की जाएंगी; (छ) वे आधार जिस पर अपील पैनल के सदस्यों को हटाया जा सकता है; (ज) खेल में डोपिंग को अलग करने के लिए अभिकरण द्वारा किएजाने वाले अन्य क्रियाकलाप; (झ)अनुशासनिक पैनल द्वारा अनुपालित की जाने वाली प्रक्रिया ; (ञ) रीति जिसमें और वह समय जिसके भीतर लिखित प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया जाना है ; (ट) अनुशासनिक पैनल के निर्णय को संसूचित करने की रीति; (ठ) अन्य निर्णय जिसके विरुद्ध अपील फाइल की जाए और प्ररुप तथा रीति जिसमें और वहसमय जिसके भीतर अपील फाइल की गई ; (ड) अपील पैनल द्वारा अनुपालित की जाने वाली प्रक्रिया; (ढ) अपील पैनल के निर्णय को संसूचित करने की रीति; (ण) बोर्ड और रीति जिसमें अभिकरण द्वारा निधि का उपयोग किया जाना है; (त) अन्य परीक्षण या नमूना विश्लेषण करने की तरीका ; (थ) कोई अन्य मामला, जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट या समागम के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए किए गए या किया जाए, उन मामलों के सिवाए, जिनके लिए अभिकरण को नियम बनाने की शक्ति है ।

खंड 31 का उपखंड (1) अभिकरणसंहिता को प्रभाव देने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए निम्नलिखित मामलों पर विनियम बना सकती है--(क) विश्व डोपिंग रोधी अभिकरण द्वारा जारी किए गए परीक्षण और अन्वेषण के लिए संहिता और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित परीक्षण और विश्लेषण और नमूना संग्रहण के लिए प्रक्रिया, पद्धतियों और मानक ; (ख) नमूनों का संग्रहण, भंडारण और अवधारण और नमूनों के संबंध में परिणाम प्रबंधन के लिए प्रक्रिया और मानक; (ग) डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघनों का अन्वेषण और निर्धारण और डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के लिए अनुशास्ति के अधिरोपण के लिए प्रक्रिया; (घ) डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन करने वाले अभिकथित खिलाड़ी या अन्य व्यक्ति का नकारात्मक विश्लेषण निष्कर्ष और प्रतिकूल विश्लेषण निष्कर्ष और अनंतिम निलंबन शासित करने वाले सिद्धांतों के लिए प्रकिया ; (ङ) चिकित्सीय उपयोग छूट निर्धारित और प्रदान करने के लिए प्रक्रियाएं, पद्धतियां और मानक; (च) प्रतिबंधित खिलाड़ी के पुर्नप्रवेश के लिए प्रक्रिया; (छ) खिलाड़ियों के प्रतिभागिता परीक्षण के लिए, परीक्षण के लिए क्रियाविधि और खिलाड़ियों के प्रतिभागिता परीक्षण से संबंधित अन्य मामलों के लिए अनुपालित की जाने वाली प्रक्रिया; (ज) प्रतियोगिता से बाहर परीक्षण के लिए अर्हक खिलाड़ी के लिए प्रक्रिया और खिलाड़ी के प्रतियोगिता के बाहर परीक्षण करने की प्रक्रिया, ऐसे खिलाड़ी का डाटा संग्रह और खिलाड़ी के प्रतियोगिता परीक्षण से संबंधित कोई भी मामला; (झ) डोपिंग की समस्या के संबंध में संवेदनशील खिलाड़ियों, खिलाड़ी समर्थक कार्मिक, अन्य व्यक्ति और अन्य संबद्ध पणधारियों के लिए खेल डोपिंग और परीक्षण और पद्धति के संबंध में अनुसंधान और वकालत के प्रोत्साहन के लिए उपाय; (ञ) खेल के नैतिक मूल्य और डोपिंग के स्वास्थ्य परिणाम के लिए डोपिंग के नुकसान पर अद्यतन और सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए डोपिंग रोधी नियंत्रण सक्रियता और डोपिंग रोधी शिक्षा, प्रशिक्षण और संवेदीकरण कार्यक्रमों को लागू करने की रीति; (ट) इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकार प्राप्त व्यक्ति द्वारा शक्ति के किसी भी प्रयोग के संबंध में परिसर की तलाशी और अभिग्रहण, नमूनों का संग्रहरण, जानकारी और डेटा के बारे में संग्रहण और किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर देरी, विनाश या गलत जानकारी के उपबंध के परिणाम; (ठ) खेल में डोपिंग उन्मूलन के लिए उपाय करने की रीति; (ड) रीति, जिसमें खेल निकायों, अधिकारियों द्वारा संचालित प्रतियोगिता या आयोजन और अन्य डोपिंग रोधी संगठन डोपिंग पदार्थों के उपयोग, डोपिंग पद्धतियों या किसी भी डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन से संबंधित जानकारी अभिकरण के साथ साझा करते हैं ; (ढ) रीति, जिसमें अभिकरण द्वारा बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया जाए ।

विधेयक का खंड 31 का उपखंड (2) अभिकरण को सशक्त करने के लिए निम्नलिखित विनियम बना सकती है–(क) प्रतिषिद्ध सूची में प्रतिषिद्ध पदार्थों और प्रतिषिद्ध पद्धतियां ; (ख) अन्य लोप या असफलता; (ग) खिलाड़ी समर्थक कार्मिकों का प्रतिषिद्ध संगम; (घ) अन्य परिस्थितियां, या अन्य कार्य या आचरण में सम्मिलित है, वह रकम जो डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन की है; (ङ) आवेदन और मानदंडों पर विचार करने की रीति; (च) प्रदत चिकित्सीय उपयोग छूट के प्रदान करने या नामंजूर करने की रीति ; (छ) परिणाम के अनर्हक अधिरोपण करने की रीति; (ज) किसी प्रतियोगिता या आयोजन या अन्य गतिविधि या वित्त पोषण में भाग लेने की अपात्रता और ऐसी अपात्रता की अवधि को अधिरोपित करने की रीति; (झ) किसी

प्रतियोगिता या गतिविधि में भाग लेने से अंनतिम निलंबन अधिरोपित करने की रीति; (ञ) लागत की आनुपातिक वसूली सहित वित्तीय मंजूरी अधिरोपित करने की रीति; (ट) अन्य परिणाम; (ठ) खेल टीम के लिए डोपिंग रोधी नियम के उल्लंघन के परिणाम ; (ड) अभिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों और अभिकरण द्वारा नियुक्त ऐसे अन्य व्यक्तियों या अभिकरणों के लिए आचार संहिता; (ढ) अभिकरण के कार्यों का प्रभावी निर्वहन; (ण) समितियां गठित करने की रीति; (त) अभिकरण द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों और वृतिकों की संख्या, उनके पास होने वाली अर्हताएं और अनुभव और रीति जिसमें वे नियुक्त किए गए हैं; (थ) अन्वेषण या कोई अन्य की गई कार्रवाई के लिए प्रक्रिया; (द) परीक्षण के लिए नमूनें प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया और रीति; (ध) डोप परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट का प्रारंभिक परीक्षण अनुपालित करने की रीति; (न) की जाने वाली कार्रवाई और ऐसी कार्रवाई किस प्रकार से की जा सकती है; (प) सुनवाई के अधिकार का अधित्यक्त करने की रीति; (फ) अन्य व्यक्तिगत डाटा; (ब) व्यक्तिगत डाटा के संग्रहण, उपयोग, प्रस्संकरण और प्रकटीकरण की प्रक्रिया; (भ) अनुशास्तियों के अन्य ब्यौरे, और डेटाबेस स्थापित और अनुरक्षित करने की रीति; (म) सार्वजनिक प्रकटीकरण करने के लिए प्रक्रिया; (य) कोई अन्य विषय, जो संहिता को प्रभावी बनाने और अन्तर्राष्ट्रीय मानक के अनुपालन के लिए विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने हैं, किए जाएं ।

जिन मामलों के संबंध में नियम या विनियम बनाए जा सकते हैं वे प्रक्रिया और प्रशासनिक विवरण के मामले हो सकते हैं और उनके लिए विधेयक में प्रावधान करना संभव नहीं है । इसीलिए विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।